

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/(एस-2023)/अलेसे-III/292

दिनांक :- 18/06/25

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

श्री सेवावत मनीष रघुवीर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित **Asst.prof.librarian PTI EXAM-2023** में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के पत्रांक 1432 दिनांक 23.05.2025 द्वारा अग्रेषित श्री सेवावत मनीष रघुवीर सिंह, के आवेदन के आधार पर इन्हें उक्त परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यदि इनका चयन आवेदित पद पर किया जाता है तो श्री राजपुरोहित नियमानुसार इस विभाग से कार्यमुक्त होकर चयनित पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इस संबंध में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा की साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन तिथि के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।

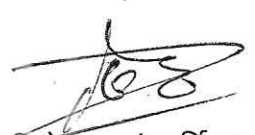

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)/(एस-2023)/अलेसे-III/292

दिनांक :- 18/06/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. कार्यालय राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री सेवावत मनीष रघुवीर, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)